

प्राचार्य



विश्वविद्यालय विश्व-सम्बन्धी सर्व-कार्य
कांग्रेस - 2020/21

Grade "A" Accredited By NAAC (17/04/2018)

दूरभाष : कार्डो : 0512-2262813

Website : www.vssdcollage.ac.in

e-mail: prin_vssdc@rediffmail.com

info@vssdcollage.ac.in

दिनांक-04/04/2028

P.O.N-011/03/13/2028-27

आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश (केवल छात्र-छात्राओं हेतु)

सभी छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आगामी विश्वविद्यालय परीक्षाओं के सुचारू एवं नकल-विहीन संचालन हेतु निम्न निर्देशों का पालन अनिवार्य है:

1. Admit Card एवं पहचान-पत्र अनिवार्य

- प्रत्येक छात्र-छात्रा को परीक्षा केन्द्र पर विश्वविद्यालय Admit Card एवं कॉलेज पहचान-पत्र एवं फीस रसीद साथ लाना आवश्यक है।
- Admit Card के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

2. समय पर उपस्थित हों

- परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
- देर से आने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार प्रतिबंधित रहेगा।

3. प्रतिबन्धित सामग्री

- परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, पुस्तकें, नोट्स, पर्चियाँ अथवा किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना सख्ती से प्रतिबन्धित है।
- नियमों का उल्लंघन किये जाने पर UFM (Unfair Means) के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी।

4. अनुशासन एवं आचरण

- महाविद्यालय परिसर पूर्णतः सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित है।
- परीक्षा के दौरान पूर्ण शान्ति एवं अनुशासन बनाए रखें।
- एक-दूसरे से बातचीत, संकेत करना अथवा नकल का कोई भी प्रयास दण्डनीय है।
- किसी भी प्रकार का अनुचित आचरण परीक्षा निरस्तीकरण का आधार बनेगा।

5. जल एवं सामग्री

- छात्र-छात्राएँ अपनी व्यक्तिगत पारदर्शी (transparent) पानी की बोतल एवं आवश्यक स्टेशनरी (पेन, पेंसिल, इरेज़र, ज्योमेट्री इत्यादि) साथ ला सकते हैं।

6. विशेष निर्देश

- डेस्क, प्रश्नपत्र या उत्तर-पुस्तिका पर अनावश्यक लिखावट करना वर्जित है।
- Roll Number एवं Paper Code सही-सही अंकित करें।
- उत्तरपुस्तिका पर परीक्षक के हस्ताक्षर अवश्य कराएँ।
- सभी छात्र/ छात्राओं को परीक्षा के दौरान जूते पहन के आना वर्जित है।

सभी छात्र-छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि वे इन नियमों का पालन करते हुए परीक्षा में सम्मिलित हों। नियमों के उल्लंघन पर CSJMU विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।

आदेशानुसार

Narinder

प्राचार्य